

अनुमति-पत्र

दिनांक 21.11.12

7. यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्त :-

1. आपको स्थल पर 100 वर्ग मीटर पर 01 पेड़ अर्थात् कुल-20 पेड़ लगाना होगा।
2. मानचित्र निर्गत करने से पूर्व नगर निगम, जल संस्थान, विद्युत व अग्नि शमन विभाग की अनापत्ति आवश्यक होगी।
3. निर्माण भूकम्परोधी होगा, इस आशय का प्रमाण पत्र स्ट्रक्चर इंजीनियर से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा तथा निर्माण भूकम्परोधी ही होगा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इस आशय का शपथ पत्र आवश्यक होगा तथा इस हेतु ₹50,000.00 की सावधि 05 वर्ष के लिए प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
5. सोलर वाटर हीटर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
6. भूमि स्वामित्व सम्बन्धी, भूमि सम्बन्धी रास्ते से सम्बन्धित किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में आवासीय मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा।
7. कूड़ा संचयन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
8. समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा।

Ct 21/11/12

नगर अभियंता (भवतः)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।